पत्र संख्या-14सै0-1- 0-11/94-301 रा0,
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस0एन0पी0एन0सिन्हा,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना, दिनांक 28.6.95

विषय- सैरात बंदोबस्ती संबंधी प्रस्तावों को सरकार की स्वीकृति हेतु समय पर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राजस्व विभागीय परिपत्र सं0 2503 भू0सु0दिनांक 21 नवम्बर,1974 तथा परिपत्र सं0 486रा0दिनांक 15.2.78(प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा सरकारी निदेश संसूचित किया गया था कि सैरात बंदोबस्ती के वैसे प्रस्ताव,जिनकी बंदोबस्ती प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार की स्वीकृति से होनी है,बंदोबस्ती अवधि के शुरू होने के दो माह पूर्व निश्चित रूप से पहुँच जाय" । उक्त परिपत्र में यह भी कहा गया था कि किसी संबंधित पदाधिकारी के स्तर पर ~~ऐसे~~ ऐसे प्रस्तावों को अग्रसारित करने में विलम्ब हो तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय"। इन सब अनुदेशों के वावजूद पाया जा रहा है कि सैरात बंदोबस्ती के प्रस्तावों को भेजने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है । कुछ प्रस्ताव बंदोबस्ती अवधि के समाप्त होने पर तथा कुछ प्रस्ताव बंदोबस्ती अवधि के काफी समय बीत जाने के बाद प्राप्त होते है । ऐसी हालत में इन सब प्रस्तावों पर सरकार के समक्ष दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था को मान लें । साथ ही निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की वसूली भी संबंधित बंदोबस्तदार से नहीं हो पाती जिससे सरकारी राजस्व की क्षति होती है.वहीं दूसरी ओर अनावश्यक पत्राचार के साथ साथ गैर जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है ।

सरकार चाहती है कि सैरात बंदोबस्ती के वैसे प्रस्ताव जिसकी बंदोबस्ती प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार की स्वीकृति होना है बंदोबस्ती अवधि के शुरू होने के दो माह पूर्व सरकार को भेजना कृपया सुनिश्चित किया जाय तथा किसी प्रकार का विलम्ब न हो । विलम्ब होने पर दोषी पदाधिकारी पर शीघ्र कार्रवाई की जाय ।

कृ0पृ0उ0

अतः अनुरोध है कि इस ओर विशेष ध्यान दें और अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दें कि वे बंदोबस्ती प्रस्ताव आपको यथा समय अग्रसारित करें ताकि आप समय पर प्रमंडलीय आयुक्त को भेज सके ।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन,
ह0/-,एस0एन0पी0एन0सिन्हा
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 301 रा0,पटना,दिनांक 28.6.95

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त पटना प्रमंडल पटना/मगध प्रमंडल,गया /उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल,हजारीबाग / दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल राँची/ पलामू प्रमंडल पलामू / संथालपरगना प्रमंडल दुमका / मुंगेर प्रमंडल मुंगेर / भागलपुर प्रमंडल भागलपुर / पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ / कोशी प्रमंडल सहरसा / दरभंगा प्रमंडल दरभंगा /तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर / सारण प्रमंडल सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि सैरात बंदोबस्ती का प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु दो माह पूर्व भेजना कृपया सुनिश्चित किया जाय ।

ह0/-एस0एन0पी0एन0सिन्हा
आयुक्त एवं सचिव ।

excess of accepted and market rates and that suitable notes of payment have been recorded against the indents and invoices concerned to prevent double payment.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि